लेवी चीनी का वितरण

3472. श्री राधाकिशन मालवीय: क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लेवी चीनी के वितरण का प्रति व्यक्ति मानदंड पूरे देश के लिए एक समान है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रति व्यक्ति मात्रा कितनी है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश को चीनी का आवंटन उक्त मानदण्ड के अनुसार किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इसे कब से चीनी उपलब्ध कराई जायेगी;

(ङ) क्या चीनी वितरण की मार्जिन राशि का पुनर्निर्धारण विगत लम्बे समय से नहीं हुआ है; और

(च) क्या मार्जिन राशि बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (घ) मध्य प्रदेश सहित अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का मासिक आवंटन 1.1.96 से प्रभावी 1991 की जनगणना के अनुसार 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास की उपलब्धता के एक समान मानदण्ड के आधार पर किया जा रहा है। तथापि, अंडमान और निकोबार, चण्डीगढ़, दिल्ली, गोवा, दमण और दीव, लक्षद्वीप, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर तथा पांडिचेरी को अधिक मात्रा में लेवी चीनी का आवंटन करने की अनुमति दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके मासिक लेवी कोटे के अनुपात में उनके पसन्द के महीने में त्यौहार कोटा आवंटित किया जाता है। पंचांग वर्ष 1996 के लिए राज्यों का यह त्यौहार कोटा दुगुना कर दिया गया है। एक विवरण अनुबंध-1 के रूप में संलग्न है जिसमें लेवी चीनी के मासिक कोटे के आवंटन का ब्यौरा दिया गया है।

(ङ) और (च) 1989, 1993 और 1994 में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् ही राज्य सरकारों के मार्जिन निर्धारित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के संबंध में मार्जिन 9.10.95 को निर्धारित किया गया था जो 1.4.94 से प्रभावी हुआ था।

Instatlled capacity of Wagon manufacturing units

3473. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the installed capacity of wagon manufacturing units in the country unit-wise;

(b) the number of wagons supplied to railways;

(c) whether Railways are not accepting the whole capacity of wagons manufactured in the above units;

(d) if so, reasons therefor; and

(c) the steps taken to improve the quality of wagons?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) A statement is annexed *(see below).*

(c) and (d) The Railways indent for wagons in measure to their requirement which may not coincide with installed manufacturing capacity.

(c) Research Development and Standard Organisation under the Ministry of Railways is following a well established quality assurance plan for wagon production in all units. They are continuously updating the technical specifications of wagons and its components with a view to improve the quality of wagons.

The wagon manufacturing units have taken the following steps to improve the quality of wagons:—

(i) Replacement of rivetted joints by welded joints;

(ii) Improvement in the welding technology by introducing Inter Gas Shield Welding, submerged are welding radiographic examination of welding etc.

(iii) Installation of facilities for Grit Blasting of wagon surface before painting to improve corrosion resistance and improve life of the wagon.